		the revised pay structure based on the 6 th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.		
12.	If a Departmental Promotion Committee exists What is its composition.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1.....Chairman 2.....Member 3......Member Group 'C' Confirmation Committee (for considering confirmation) : 1.....Chairman 2.....Member 3......Member	Departmental Promotion Committee consisting of Director (CIP) -Chairman Medical Officer – Member Asstt. Professor - Member Administrative Officer - Member	
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable	Not Applicable	

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में स्टोर कीपर के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान,रांची में स्टोर कीपर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को ajaya59@gmail.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव,भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	स्टोर कीपर	स्टोर कीपर	
2.	पद की संख्या	1	1* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	नव निर्मित पद
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (अब वेतन मैट्रिक्स में वेतन)	वेतन बैंड 1 रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2400	पे-मेट्रिक्स में लेवल 4 (25500/- रु.)	7 वीं सीपीसी अनुशंसा के अनुसार प्रतिस्थापन
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	अचयन (यदि पदोन्नति भर्ती की विधियों में से एक है)	अचयन	
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए	लागू नहीं	दिनांक 31.03.2015 के लोक शिकायत कार्मिक, एवं पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/13/2013 -स्था. (आरआर) के अनुसार।

		आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख) या आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी। (भर्ती प्रक्रिया में सीधी प्रक्रिया न होने के मामले में – लागू नहीं) (डायरेक्ट ओपन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रक्रिया द्वारा सीधी भर्ती होने पर आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी)।		
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(क) (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12 वीं उत्तीर्ण (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार,स्वायत्त/ सांविधिक संगठन,पीएसयू या विश्वविद्यालय/ बैंक या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र संगठन में भंडार संभालने व भंडार के लेखा रखने का दो वर्ष का अनुभव या (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/ सांख्यिकीय/ व्यापार अध्ययन/ जन प्रशासन विषय के साथ स्नातक	लागू नहीं।	100% पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदोन्नति पद होने की वजह से।

		डिग्री। नोट 1: अन्यथा रूप से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रुप से रिकॉर्ड किए गए कारणों हेतु सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के निर्णय से योग्यता में छूट दी जा सकती है।		
		टिप्पणी 2: एससी/एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, यदि कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की राय में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु उन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के संभावना न हो, तो अनुभव संबंधी अर्हता(ओं) के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक से छूट दी जा सकती है, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।		
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र सीमा और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति पर भरे जाने वाले पदों के लिए लागू होंगी।	लागू नहीं (यदि सीधी भर्ती न हो) नहीं (यदि सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी निर्धारित हो)	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष, सीधी भर्ती के मामले में पदोन्नति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं	लागू नहीं	समूह 'ग' से समूह 'ग' पदोन्नति पद होने के कारण
10.	भर्ती की विधि: सीधी भर्ती या पदोन्नति पर या प्रतिनियुक्ति पर या विलयन द्वारा तथा	पदोन्नति द्वारा ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (प्रतिनियुक्ति/विलयन, ऐसा	100% पदोन्नति द्वारा	

	विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	नहीं होने पर सीधी भर्ती की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब फीडर ग्रेड में पर्याप्त पद न हों या फीडर ग्रेड में कोई पद न हो। यदि सीधी भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नहीं है तो कॉलम 6 और 7 में 'लागू नहीं' भरा जाए। कॉलम 9 में भी तदनुसार संशोधन किया जाए।)		
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /विलयन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /विलयन किया जाना है।	पदोन्नति: स्टोर कीपर ग्रेड-II वेतन बैण्ड 1 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा टिप्पणी 1: जहां कनिष्ठ कर्मचारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हों, तो उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा कम न हो या 2 वर्ष से कम न हो, और उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगले ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 2: पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए 1.1.2006/जिस तिथि से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर	न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों में से।	

		संशोधित वेतनमान लागू किया गया है, से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूप वेतनमान/वर्द्धित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी।		
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु): 1...........अध्यक्ष 2...........सदस्य 3...........सदस्य समूह 'ग' स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1...........अध्यक्ष 2...........सदस्य 3...........सदस्य	विभागीय स्थायीकरण समिति निदेशक (सीआईपी)–अध्यक्ष चिकित्सा अधिकारी–सदस्य सहायक प्रोफेसर – सदस्य प्रशासनिक अधिकारी–सदस्य	
13.	किन परिस्थितियों में भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं	लागू नहीं	